न्यायपालिका

↳ 1773 के रेग्युलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में एक उच्चतम न्यायालय का प्रावधान कलकत्ता में किया गया।

एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 न्यायाधीश थे। – सर एलिजा इम्पे
↳ मुख्य न्यायाधीश

2- हाइड
3- चैम्बर्स
4- लैमेस्टर

↳ इसका विस्तार उड़ीसा और बिहार तक था, इससे [illegible] लोग दोनों पक्षों की सहमति पर उच्चतम न्यायालय जा सकते थे।

↳ भारत शासन अधिनियम, 1935 के तहत सन् 1937 में सम्पूर्ण भारत के लिए एक "संघिय न्यायालय" का प्रावधान किया गया।

इसके मुख्य न्यायाधीश "मैरिस ग्वेयर" थें।

↳ इस न्यायालय का संचालन पुराने संसद भवन के "चैम्बर ऑफ प्रिंसेस" में किया गया।

↳ संविधान के द्वारा सम्पूर्ण भारत मे त्री स्तरीय एकीकृत न्यायपालिका का गठन किया गया।

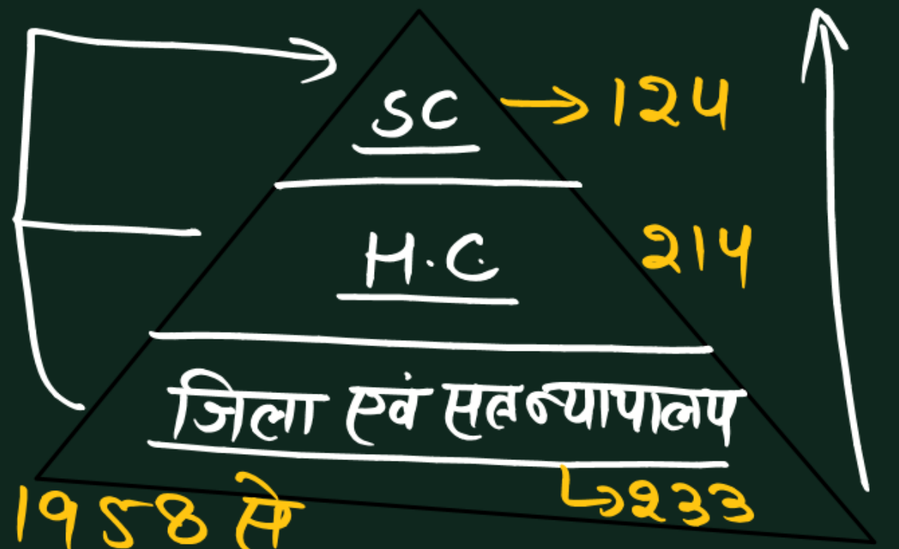

↳ 28 जन. 1950 को उच्चतम न्यायालय का प्रावधान "चेम्बर ऑफ प्रिंसेस" भवन मे किया गया।

↳ वर्तमान परिसर मे इसका संचालन सन 1958 से किया जा रहा है।

↳ प्रथम मुख्य न्यायाधीश - हिरालाल. जे. कानिया थे।

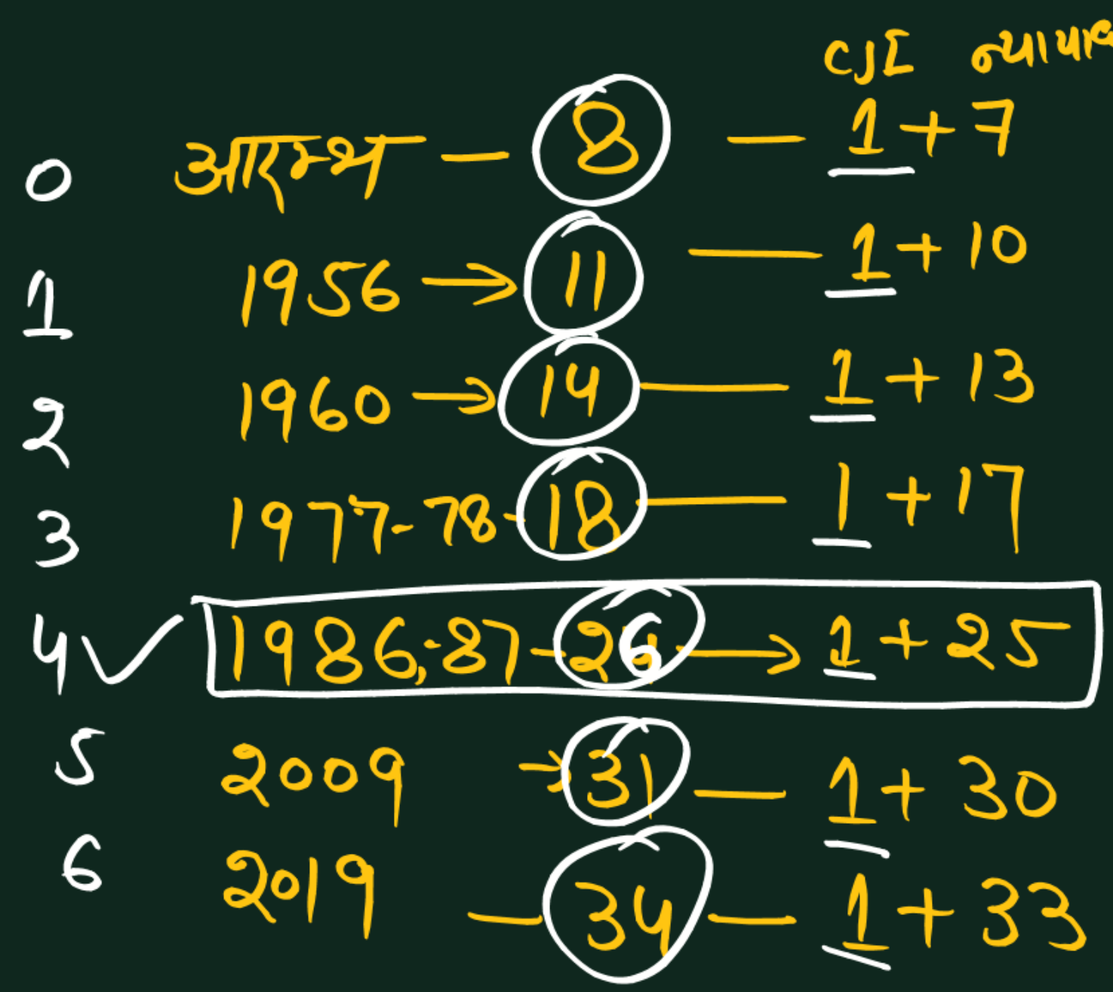

			CJI न्यायाधीश
0	आरम्भ	8	1 + 7
1	1956 →	11	1 + 10
2	1960 →	14	1 + 13
3	1977-78	18	1 + 17
4 ✓	1986-87	26	→ 1 + 25
5	2009 →	31	1 + 30
6	2019	34	1 + 33

6 बार न्यायधीशों की संख्या मे परिवर्तन।

→ SC मे न्यायधीशों कि संख्या निश्चित करने का अधिकार संसद के पास होगा।

उच्चतम न्यायालय → अमेरिका

अनु०-124 :- सम्पूर्ण भारत के लिए एक उच्चतम न्यायालय होगा। जोकि एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य इतने ही न्यायाधीश से बनेगा जितना संसद निश्चित करें।

योग्यता :-
1. भारत का नागरिक हो।
2. एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश पद पर कार्य किया हो। or
3. एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक लगातार अधिवक्ता पद पर कार्य किया हो। or
4. राष्ट्रपति के नज़र में पारंगत विधि वेत्ता हो।

नियुक्ति : राष्ट्रपति द्वारा → कोलेजियम सिस्टम के सिफारिश पर

कार्यकाल :
① अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक।
② इससे पहले राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकते हैं।
③ साबित कदाचार या संवैधानिक असमर्थता के आधार पर दोनों सदनों के द्वारा २/३ बहुमत से पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति पद से हटा सकेगा।

पद से हटाने
- लोकसभा में आरोप ⇓ 100 सदस्य
- राज्यसभा में आरोप ⇓ 50 सदस्य

⇓ सदन के पिठासीन के पास
- हाँ ⇓ २/३ बहुमत
- नहीं ⇓ 3 सदस्यी न्यायाधीश, आरोप की जाँच करेंगे।

SC का क्षेत्राधिकार :-

- मूल या प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार - अनु-131
- अपिलिय क्षेत्राधिकार - अनु-132-134
- सलाहकारी / परामर्शी क्षेत्राधिकार :- अनु० 143

1-मूल क्षेत्राधिकार :-

① :- संघ के विरुद्ध एक या एक से अधिक राज्य.
② :- संघ के साथ एक या एक से अधिक राज्य बनाम एक या एक से अधिक राज्य.
③ राज्यों का आपस में विवाद।